



अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

आवश्यक सूचना

विभागीय संकल्प सं०-1140 दिनांक-10.05.2018, संकल्प सं०-1012 दिनांक-21.02.2024 एवं मार्गदर्शिका ज्ञापांक-5305 दिनांक- 04.09.2024 के आलोक में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत बिहार राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को दिनांक-21.02.2024 के उपरांत निम्नलिखित परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार/अग्र्रेतर तैयारी हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान किये जाने हेतु विभागीय पोर्टल <https://scstonline.bih.nic.in/> के माध्यम से Online आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं-

क्र०	प्रतियोगी परीक्षा का नाम	प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था का नाम
01.	सिविल सेवा (Civil Service)	संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
02.	भारतीय अभियंत्रण सेवा (Indian Engineering Service)	
03.	भारतीय आर्थिक सेवा (Indian Economic Service)	
04.	भारतीय सांख्यिकी सेवा (Indian Statistical Service)	
05.	संयुक्त भू-वैज्ञानिक (Combined Geo-Scientist)	
06.	संयुक्त रक्षा सेवा (CDS)	
07.	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI Dy.S.P.)	
08.	केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Force)	
09.	राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) एवं नौसेना अकादमी (Naval Academy) की प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) की परीक्षा	
10.	बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता (प्रारंभिक) परीक्षा	बिहार लोक सेवा आयोग, पटना
11.	बिहार न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा।	संबंधित राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग
12.	अन्य राज्यों में आयोजित राज्य सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता (प्रारंभिक) परीक्षा	
13.	भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ग्रेड-बी की प्रारंभिक परीक्षा	भारतीय रिजर्व बैंक
14.	भारतीय स्टेट बैंक (SBI) एवं अन्य अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों में परिवीक्षाधीन पदाधिकारी (Bank Probationary Officer) की प्रारंभिक परीक्षा।	भारतीय स्टेट बैंक / बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS)
15.	भारतीय जीवन बीमा निगम में सहायक प्रशासनिक अधिकारी (Assistant Administrative Officer) की प्रारंभिक परीक्षा	भारतीय जीवन बीमा निगम
16.	संयुक्त स्नातक स्तरीय (Combined Graduate Level) प्रारंभिक परीक्षा	केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली
17.	विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित परीक्षा तकनीकी एवं स्नातक स्तरीय (Combined Graduate Level) प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर देय राशि।	संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड

• आवेदन हेतु अर्हता एवं शर्तें:-

- अभ्यर्थी को इस योजना से संबंधित परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।
 - अभ्यर्थी को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होने के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत होना/आना चाहिए।
 - अभ्यर्थी को पूर्व से किसी राज्य या केन्द्र सरकार के अधीन वित्त सम्पोषित किसी भी सरकारी/लोक उपक्रम (बोर्ड/निगम) की सेवा में कार्यरत या नियोजित नहीं होना चाहिए।
 - किसी भी अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ सिर्फ एक ही बार दिया जायेगा।
 - कंडिका-(iv) में वर्णित प्रावधान के अतिरिक्त, यदि कोई भी अभ्यर्थी उपरोक्त सारणी में उल्लेखित परीक्षाओं के लिए लाभ लेने के उपरान्त केवल संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होता है तो उसे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा (PT) के लिए एक बार अंतर राशि देय होगा, मात्र इस हद तक कंडिका-(iv) शिथिल रहेगी।
 - आवेदन हेतु अर्हता एवं शर्तें तथा विस्तृत दिशा-निर्देश विभाग के पोर्टल <https://scstonline.bih.nic.in/> पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि आवेदन समर्पित करने के पूर्व दिशा-निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे तथा उक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
- परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के 45 दिनों के अंदर आवेदन अंतिम रूप से समर्पित करना अनिवार्य है परन्तु यह शर्त मात्र इस बार के विज्ञापन के लिए शिथिल किया जाता है। दिनांक-21.02.2024 के उपरांत वर्तमान विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि तक प्रकाशित उपरोक्त परीक्षा परिणामों के लिए इस विज्ञापन के प्रकाशित होने के 45 दिनों के अंदर आवेदन अंतिम रूप से समर्पित करना अनिवार्य होगा। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के पश्चात् प्रकाशित परीक्षा परिणामों के लिए आवेदन, परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने की तिथि से 45 दिनों के अंदर अंतिम रूप से समर्पित करना अनिवार्य होगा। उक्त समयवाधि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

दिनांक - 26.09.2024

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
आवश्यक सूचना

विभागीय संकल्प सं०-1140 दिनांक-10.05.2018, संकल्प सं०-1012 दिनांक-21.02.2024 एवं मार्गदर्शिका ज्ञापांक-5305 दिनांक-04.09.2024 के आलोक में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत बिहार राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को दिनांक-21.02.2024 के उपरांत निम्नलिखित परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार/अग्रोत्तर तैयारी हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान किये जाने हेतु विभागीय पोर्टल <https://scstonline.bih.nic.in/> के माध्यम से Online आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं-

क्र०	प्रतियोगी परीक्षा का नाम	प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था का नाम
01.	सिविल सेवा (Civil Service)	संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
02.	भारतीय अभियंत्रण सेवा (Indian Engineering Service)	
03.	भारतीय आर्थिक सेवा (Indian Economic Service)	
04.	भारतीय सांख्यिकी सेवा (Indian Statistical Service)	
05.	संयुक्त भू-वैज्ञानिक (Combined Geo-Scientist)	
06.	संयुक्त रक्षा सेवा (CDS)	
07.	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI Dy.S.P.)	
08.	केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Force)	
09.	राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) एवं नौसेना अकादमी (Naval Academy) की प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) की परीक्षा	
10.	बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता (प्रारंभिक) परीक्षा	बिहार लोक सेवा आयोग, पटना
11.	बिहार न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा।	
12.	अन्य राज्यों में आयोजित राज्य सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता (प्रारंभिक) परीक्षा	संबंधित राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग
13.	भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ग्रेड-बी की प्रारंभिक परीक्षा	भारतीय रिजर्व बैंक
14.	भारतीय स्टेट बैंक (SBI) एवं अन्य अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों में परिवीक्षाधीन पदाधिकारी (Bank Probationary Officer) की प्रारंभिक परीक्षा।	भारतीय स्टेट बैंक/ बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS)
15.	भारतीय जीवन बीमा निगम में सहायक प्रशासनिक अधिकारी (Assistant Administrative Officer) की प्रारंभिक परीक्षा	भारतीय जीवन बीमा निगम
16.	संयुक्त स्नातक स्तरीय (Combined Graduate Level) प्रारंभिक परीक्षा	केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली
17.	विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित परीक्षा तकनीकी एवं स्नातक स्तरीय (Combined Graduate Level) प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर देय राशि।	संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड

● **आवेदन हेतु अर्हता एवं शर्तें:-**

- (i) अभ्यर्थी को इस योजना से संबंधित परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।
 - (ii) अभ्यर्थी को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होने के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत होना/आना चाहिए।
 - (iii) अभ्यर्थी को पूर्व से किसी राज्य या केन्द्र सरकार के अधीन वित्त सम्पोषित किसी भी सरकारी/लोक उपक्रम (बोर्ड/निगम) की सेवा में कार्यरत या नियोजित नहीं होना चाहिए।
 - (iv) किसी भी अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ सिर्फ एक ही बार दिया जायेगा।
 - (v) कंडिका-(iv) में वर्णित प्रावधान के अतिरिक्त, यदि कोई भी अभ्यर्थी उपरोक्त सारणी में उल्लेखित परीक्षाओं के लिए लाभ लेने के उपरान्त केवल संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होता है तो उसे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा (PT) के लिए एक बार अंतर राशि देय होगा, मात्र इस हद तक कंडिका-(iv) शिथिल रहेगी।
 - (vi) आवेदन हेतु अर्हता एवं शर्तें तथा विस्तृत दिशा-निर्देश विभाग के पोर्टल <https://scstonline.bih.nic.in/> पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि आवेदन समर्पित करने के पूर्व दिशा-निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे तथा उक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
- परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के 45 दिनों के अंदर आवेदन अंतिम रूप से समर्पित करना अनिवार्य है परन्तु यह शर्त मात्र इस बार के विज्ञापन के लिए शिथिल किया जाता है। दिनांक-21.02.2024 के उपरांत वर्तमान विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि तक प्रकाशित उपरोक्त परीक्षा परिणामों के लिए इस विज्ञापन के प्रकाशित होने के 45 दिनों के अंदर आवेदन अंतिम रूप से समर्पित करना अनिवार्य होगा। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के पश्चात् प्रकाशित परीक्षा परिणामों के लिए आवेदन, परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने की तिथि से 45 दिनों के अंदर अंतिम रूप से समर्पित करना अनिवार्य होगा। उक्त समयावधि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।